श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र श्री प्राण दत्त तिवारी ग्राम–सिमखेत, तहसील व जिला–बागेश्वर, उत्तराखण्ड़ द्वारा मै0 बैतोली सोपस्टोन माईनिंग के पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 23.07.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र श्री प्राण दत्त तिवारी (बैतोंली सोपस्टोन माईनिंग ग्राम–बैतोंली, तहसील व जिला–बागेश्वर, उत्तराखण्ड़, 4.942 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के कम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान (उत्तराखण्ड संस्करण) तथा हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) के दि0 19.06.2024 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतिया जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तद्क्रम में उपजिलाधिकारी महोदया बागेश्वर की अध्यक्षता में दिं0 23.07.2024 को निकट परियोजना स्थल में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। लोक सुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के डॉ0 डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावो तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष उपजिलाधिकारी बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया तथा परियोजना के संबंध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदया से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

उपजिलाधिकारी बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स ईको पर्यावरण लैबोरेटरीज एण्ड कंसल्टेंट्स प्रा0लि0 के पर्यावरण सलाहकार श्री भुवन जोशी द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया। विवरण प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रस्तावित परियोजना एक सोप स्टोन खनन परियोजना है, परियोजना का खनन स्थल ग्राम–बैतोली, तहसील व जिला–बागेश्वर में स्थित है। बैतोली सोप स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट ई0आ0ए0 अधिसूचना के अनुसार मुख्यतः बी1 श्रेणी के प्रोजेक्ट है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रदत्त आदेशों के कम में प्रोजेक्ट बी1 श्रेणी में एस0ई0आई0ए0ए0 उत्तराखण्ड द्वारा टी0ओ0आर0 जारी किया गया है। खनन क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्रों यथा आवासीय भवन, सडक, पहुच मार्ग, खच्चर मार्ग, विद्युत लाईन, धार्मिक स्थल आदि इस प्रकार का कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है। खनन क्षेत्र के भीतर कोई मौसमी या बारह मासी जल निकासी मौजूद नहीं है। कार्य ओपन कास्ट सेमी मेंकेनाइड विधि द्वारा किया जायेगा। परियोजना स्थल तथा परिक्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण, भूगर्भीय जल मृदा तथा ध्वनि स्तर का अनुश्रवण कर नमूने एकत्रण किये गये है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता विश्लेषण आख्यायें परिवेशीय वायु गुणवत्ता राष्टीय वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर है तथा भू–जल नमूने की गुणवत्ता भारतीय मानक IS:10500 द्वारा

निर्धारित सीमा के अनुरूप है। ध्वनि का स्तर दिन और रात के समय हेतु निर्धारित सीमा में है। खनन क्षेत्र में कोई विस्थापन शामिल नहीं है, क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित खदान स्थानीय आवादी को रोजगार प्रदान करेगी, पर्यावरण प्रबंधन योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों यथा ढुलाई सड़क की मरम्मत और रखरखाव, धूल नियंत्रण, पानी का छिड़काव, जल/वायु, ध्वनि स्तर अनुश्रवण, वृक्षारोपण तथा देखभाल व सीईआर मदों में धन राशि आवंटन के संबंध में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि प्रस्तावित खनन कार्य निर्धारित नियमों एवं शर्तो के अनुसार किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से सुझाव आपत्तिया एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तिया टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है।

1. श्री जगदीश तिवारी ग्राम–खोलाखेत, तहसील व जिला–बागेश्वर, उत्तराखण्डः–श्री तिवारी द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा परियोजना के संबंध में प्रस्तुतिकरण तकनीकी भाषा में दिया गया है। गांव के रास्तों, नौलों, पनघटों के संरक्षण हेतु परियोजना के सी0एस0आर0 मद में प्राविधान किया जाना चाहियें।

2. श्री आनन्द तिवारी जिला पंचायत सदस्य तहसील व जिला–बागेश्वर, उत्तराखण्डः–श्री तिवारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुये कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना के प्रस्तावक गॉव के स्थानीय है। प्रस्तावक की प्राथमिकता गॉव के सामाजिक कार्यो तथा गॉव के विकास हेतु रहती है। गॉव के आस–पास गौचर भूमि, रास्ते, पनघटों का संरक्षण करते हुये खनन कार्य किया जाना चाहियें। पूर्व में भी पट्टाधारक द्वारा सही रूप से खनन कार्य किया गया है, हम आशा करते है कि आगे भी नियमानुसार खनन कार्य करेंगे।

3. श्री सुरेश चन्द्र जोशी ग्राम–बैतोंली, तहसील व जिला–बागेश्वरः–श्री जोशी द्वारा जानना चाही की अगर किसी पट्टाधारक द्वारा किसी अन्य की जमीन में खनन कार्य किया जाता है तो उसका मुवावजा मिलना चाहियें या नहीं ? तद्क्रम में परियोजना के प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि विगत वर्षो से माईन में कोई खनन कार्य नहीं किया गया है। पूर्व में जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया गया है, उसका मुवावजा कास्तकार को दिया गया है। श्री जोशी द्वारा आगे कहा गया कि लोक सुनवाई परियोजना स्थल के पास की होनी चाहियें, जिससे वहा के प्रभावित लोगों के बारें में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जब भी खनन कार्य किया जाऐगा उसका पूरा मुवावजा मिलना चाहियें। हमें खडिया खनन कार्य से कोई आपत्ति नहीं है।

4. श्री मोहन चन्द्र तिवारी ग्राम–बैतोंली, तहसील व जिला–बागेश्वरः–श्री तिवारी द्वारा गांव में पेय जल की व्यवस्था न होने के संबंध में अवगत कराया गया। तद्क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना के संबंध में ही आपत्ति/सुझाव दें।

5. श्री दिनेश तिवारी ग्राम–खोलाखेत, तहसील व जिला–बागेश्वर, उत्तराखण्डः–श्री तिवारी द्वारा कहा गया कि गांव के विकास हेतु खनन परियोजना जरूरी है। प्रस्तावित खनन परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहियें। हमें खनन से कोई आपत्ति नहीं है।

6. श्री पूरन चन्द्र जोशी ग्राम–खोलाखेत, तहसील व जिला–बागेश्वर, उत्तराखण्डः–श्री जोशी द्वारा कहा गया कि पूर्व में किये गये खनन कार्य से गॉव में पानी की गूलें/पाईप लॉईन क्षतिग्रस्त हो गयी है तथा नजदीकी भवनों को खतरा उत्पन्न हो गया है। जंगल बर्बाद हो गये है तथा गॉव से लोगों का पलायन हो गया है। पट्टाधारकों द्वारा गांव के आम रास्तों को ध्वस्त कर दिया गया है। तद्क्रम में उपजिलाधिकारी महोदया द्वारा पूछा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से आपको आपत्ति है ? श्री जोशी द्वारा कहा गया कि गॉव के रास्तों/पेय जल लाईनों/भवनों के संरक्षण करते हुये नियमानुसार खनन कार्य किया जायें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

7. श्री भास्कर तिवारी सरपंच ग्राम, बैतोली तहसील व जिला–बागेश्वर, उत्तराखण्डः–श्री तिवारी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। खनन कार्य खनन योजना के अनुरूप ही किया जाना चाहियें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी परियोजना प्रस्तावक–श्री तिवारी द्वारा कहा गया कि खनन परियोजना का प्रारम्भ ग्रामवासियों की सहमति से ही किया जायेगा तथा बताया गया कि खनन कार्य प्रारम्भ होने पर क्षेत्र के विकास एवं रोजगार के क्षेत्र में कार्य किया जायेगा। प्रस्तावित खनन परियोजना से जो भी आपत्तियॉ होगी उन्हें दूर किया जायेगा तथा पेय जल लाईनों तथा रास्तों के क्षतिग्रस्त होनी की दशा में उनके संरक्षण का कार्य किया जाता है तथा जो भी भविष्य म्रें समस्या आऐंगी या खनन कार्य से लोग प्रभावित होंगे तो सभी समस्यओं का निदान किया जाऐगा।

तद्क्रम में उपजिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि परियोजना का कार्य पूर्व के वर्षो से संचालन में है। ग्राम वासियों द्वारा जो भी समस्यायें बतायी जा रही है, उन सभी का आंकलन किया जायगा। अनुपालन न होने की स्थिति में कार्यवाही की जायेगी। सुझाव/आपत्ति व टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गयझं उक्त जन सुनवाई की विडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीयअधिकारी
उ0प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी।

(मोनिका)
उपजिलाधिकारी
बागेश्वर।